राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–1) विभाग

क्रमांकः प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2012 जयपुर दिनांकः **30.10.2014**

समस्त सम्भागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलक्टर,

विषयः–नागरिकों से शिकायतें/परिवेदनाएं प्राप्त करने तथा उनकी रसीद देने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने बाबत।

महोदय/महोदया,

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 09 अप्रैल, 2013 द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन, एकल खिड़की स्थापित करने एवं उस पर परिवाद/शिकायत/आवेदन पत्र प्राप्त करने, ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत प्राप्त करने का समय निर्धारित करने, निगरानी व्यवस्था करने, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित आम जन को लाभान्वित की जाने वाली योजनाओं/लाभार्थियों की सूचना प्रकट करने आदि के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त निर्देशों के अनुसार जनता की शिकायतों का दक्षता और प्रभावी तरीके से निराकरण करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में लोक सुनवाई सहायता केन्द्र स्थापित करने और प्रत्येक राजकीय कार्य दिवस को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक परिवाद प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। इन शिकायतों/परिवादों के विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (Unique Registration Number) अंकित करते हुए रसीद दिये जाने की व्यवस्था हेतु भी निर्देशित किया गया था। यह देखने में आया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा इन निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है।

अतः कृपया उक्त आदेश की पूर्ण पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजकीय उपक्रम/निगम/बोर्ड/ मंडल।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान
5. रक्षित पत्रावली।

30/10/14

(बन्ना लाल)
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज